कार्यालय--निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/माध्य–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/95 दिनांक : 17.07.19

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019–20 की तिथियों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांकः समसा/जय/वै.शि/ 2019–20/उजियारी पंचायत/ 3361 दिनांकः 9.7.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में चिन्हित बालक–बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित कराया जाकर शालादर्पण पोर्टल प्रविष्ठ करवायी जानी अनिवार्य है। सत्र 2019–20 के लिए ड्रॉप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवदेन एवं भौतिक सत्यापन तथा घोषणा एवं सम्मान की समयावधि एवं तिथियों निम्नानुसार होगी :–

1. प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण में बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपडेशन–12,जुलाई 2019 तक।
2. उजियारी पंचायत हेतु ग्राम सभा से अनुमोदित आवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 22 जुलाई 2019।
3. आवेदित ग्राम पंचायतो की शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की अंतिम तिथि – 25 जुलाई 2019
4. उपखण्ड/ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच – 13 अगस्त 2019 तक।
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन–27 अगस्त, 2019 तक।
6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन – 30 अगस्त 2019।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक्सेल में समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर को सूची प्रस्तुतीकरण – 02 सितम्बर 2019 तक।
8. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान – 5 सितम्बर 2019 तक।

अतः उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा सम्बन्धित कार्यवाही उपरोक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर.

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
12. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
17. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

D:\ma - D\General letter\General latter.doc79